

# कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

173

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

सुगम से दुर्गम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	का	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	श्रीमती गोस्वामी	पुष्पा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भीरी अगस्त्यमुनि।	सुगम	रा0प्रा0वि0 जलई अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती रौतेला	मंजू	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली।	सुगम	रा0प्रा0वि0 जखोली।	सेम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती बगवाड़ी	सुनीता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गबनीगांव अगस्त्यमुनि	सुगम	रा0प्रा0वि0 मालखी अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती सेमवाल	पूनम	स0अ0	रा0प्रा0वि0 उखीमठ।	सुगम	रा0प्रा0वि0 उखीमठ।	खाट	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जानें के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ /वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 जनपद रूद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0वि0),  
रूद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 177

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 20 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्रीमती प्रेमलता नेगी	प्रा0अ0	रा0प्रा0वि0 गांधीपुर अगस्त्यमुनि	सुगम	रा0प्रा0वि0 घुड़स्याल अग0	दुर्गम		रिक्त पद के प्रति

सुगम से दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जायें के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

पू0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2338-48 /वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक: उक्तवत।

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

176

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्रीमती अंजू झिकवाण	स0अ0	रा0प्रा0वि0 अरखुण्ड जखोली।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 गबनीगांव अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती अन्नपूर्णा गुंसाई	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पपड़ासू जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 पंचमैयाखाल अग0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती हनीपा बानू	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तलसारी अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 मौंसाल अग0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती सावित्री	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कमोल्डी अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रैंतोली अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
05	श्री रणबीर लाल शाह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भटवाड़ी अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 ककोला अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
06	श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तमिण्ड अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रंयासू अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
07	श्रीमती इन्दु चौधरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मोला धिरोली अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बीना अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
08	श्री त्रिलोक सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 झुण्डोली अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कोटी मदोला अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
09	श्रीमती कुंवरी राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 खोली उखीमठ	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 हयूण उखीमठ।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती लक्ष्मी राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मुस्यागांव अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 तिलणी अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
11	श्री सुरजीत सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सेम भरदार जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 तुनेटा जखोली।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती शशि बिष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोटी सेम जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 जखन्यालगांव जखो0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
13	श्री नवीन पाण्डेय	स0अ0	रा0प्रा0वि0 वनथापला अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 गन्धारी अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
14	श्री महावीर सिंह चौधरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कणसिली अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 नारी खतेणा अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
15	श्री चारु चन्द्र खण्डूरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सिद्धपीठ अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 धारकोट अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
16	श्री संतोष प्रसाद भट्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जोला बड़ेथ अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 घोलतीर अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
17	श्री प्रियदर्शन सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चमाचौरी जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बन्दरतौली जखोली।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
18	श्री गोविन्द रमोला	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बामसू अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
19	श्रीमती रेखा पाण्डेय	स0अ0	रा0प्रा0वि0 थपलगांव अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बोरा अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति
20	श्री शिव प्रसाद काण्डपाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सुरसाल अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कण्डारा अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति
21	श्री चन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सेना गड़सारी अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 डमार अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति

22	श्री कुंवर सिंह राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तड़ाग अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 सतेराखाल अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
23	श्री विक्रम प्रसाद भट्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 धनकुराली अग0	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कोठियाड़ा जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
24	श्री राकेश प्रसाद भट्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जखनोली जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 शीशों जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
25	श्री भारत भूषण गौड़	स0अ0	रा0प्रा0वि0 किरोड़ा मल्ला	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 जैना कन्धार जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
26	श्री शूरवीर सिंह सिंगवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ममणी जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रतनगढ़ जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
27	श्री महावीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोट बांगर जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 हरियाली जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
28	श्री राजेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 उत्तर्सू जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 ताली अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति
29	श्री ज्योति प्रकाश भट्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ढौण्डा जखोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बन्दरतोली जखोली	सुगम	रिक्त पद के प्रति
30	श्री ओम प्रकाश सेमवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पैलिंग उखीमठ	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 भीरी अगस्त्यमुनि	सुगम	रिक्त पद के प्रति
31	श्री प्रेम सिंह नेगी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रांसी उखीमठ	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 नाला उखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति
32	श्री पन्ना लाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जाल मल्ला उखीमठ	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 अलंगू जुरानी उखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/2327-37/वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ। (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 174

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

दुर्गम से सुगम

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अव्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्री बिजेन्द्र सिंह भण्डारी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली।	ललूड़ी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 अमडाला अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्री दलवीर सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली	मल्यासू	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बाँठा घनपुर अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
03	श्री देवी प्रसाद काण्डपाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि।	क्वली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कन्या बावई अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
04	श्री विजय सिंह मेहता	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि।	जयकण्डी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बावई अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
05	श्री उषा कप्रवाण	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि।	कणसिली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 टेमरिया अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
06	श्री भीम राज सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि	बांजगड्डू	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बनियाड़ी अग0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
07	श्रीमती अनुसूया सिंगवाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली	गोर्ती	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 घोलतीर अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
08	श्रीमती विमला बुटोला	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली	मखेत	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 डुंगरी अग0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
09	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि।	जहंगी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 उखीमठ उखी0	सुगम	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती मीनू सिद्धीकी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली।	कूड़ी	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रायड़ी अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
11	श्री सुमेर सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली।	उरोली	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 गंगानगर उखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती दीपा पन्त	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोली	श्रीकोट	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 पैज उखीमठ।	सुगम	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती रूकमा पंवार	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 उखीमठ	कविल्टा	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 गुप्तकाशी उखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।





5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा० विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),  
रुद्रप्रयाग।  
दिनांक: उक्तवत।

पृ०सं०:

प्रा०शि० / सेवा-02 / 2305-15 / वा०स्था० / 2019-20

प्रतिलिपि:

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि० जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),  
रुद्रप्रयाग



# कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग ।

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 175 /वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 5 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08
धारा 13(4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति-पत्नी(यथा लागू) की गंभीर बीमारी रोगग्रस्तता/ विकलांगता					
01	श्रीमती एकता भण्डारी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मटवाड़ी जखोली।	रा0प्रा0वि0 कलना अगस्त्यमुनि।	रिक्त पद के प्रति
धारा 13(5) मानसिक रूप से विकसित एवं ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णत माता-पिता पर निर्भर हैं के माता-पिता					
02	श्री अनिल आर्य	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जालतल्ला उखीमठ	रा0प्रा0वि0 रूमसी अगस्त्यमुनि।	रिक्त पद के प्रति
धारा 13(3) उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी					
03	श्रीमती राजमती देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चिड़पी अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 चमस्वाड़ा अग0	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती सरिता मैठाणी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 क्यूंजा अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 पठालीघार अग0	रिक्त पद के प्रति
धारा 13(2) दुर्गम से दुर्गम में स्थानान्तरण					
05	श्री कमल सिंह बिष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तैला जखोली	रा0प्रा0वि0 कोटभरदार जखोली	रिक्त पद के प्रति
06	श्री शशिभूषण	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जखवाड़ी जखोली	रा0प्रा0वि0 विराणगांव जखोली	रिक्त पद के प्रति
07	श्री संजय प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 शेरसी उखीमठ	रा0प्रा0वि0 ककोला उखीमठ	रिक्त पद के प्रति
08	श्रीमती विजयलक्ष्मी पंवार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मटवाड़ी जखोली	रा0प्रा0वि0 सेमलता जखोली	रिक्त पद के प्रति
धारा 13(1) सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण					
09	श्री युद्धवीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 शींशो जखोली	रा0प्रा0वि0 उदियाणागांव जखोली	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।



5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण ब्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा० विद्यार्थिकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),  
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृ०सं०: प्रा०शि०/सेवा-02/2316-26/वा०स्था०/2018-19  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि० जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),  
रुद्रप्रयाग।

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग।**

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 172 /वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 25 जून 2019

**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

**पदनाम- प्रधानाध्यापक**

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय	तैनाती	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08	
<b>धारा 13(4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति-पत्नी(यथा लागू) की गंभीर बीमारी रोग्यस्तता/विकलांगता</b>						
01	श्री हरि लाल आर्य	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 चमस्वाड़ा अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 दुर्गाधार अगस्त्यमुनि।		रिक्त पद के प्रति
<b>धारा 13(2) दुर्गम से दुर्गम में स्थानान्तरण</b>						
02	श्रीमती प्रभा विष्ट	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 उखीमठ।	रा0प्रा0वि0 उखीमठ	भींगी	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती नेहा सयाना	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 आसौं अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 झुण्डोली अगस्त्यमुनि।		रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2283-93 /वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक: उक्तवत।

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि यदि अध्यापक एकल अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तो विद्यालय संचालन की व्यवस्था कर सम्बन्धित अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 जनपद रूद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रूद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

164 / वा0स्था0 / 2019-19

दिनांक: 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक,

दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्री लक्ष्मण सिंह गोस्वामी	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 स्यूरबांगर जखोली	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 गुप्तकाशी ऊखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति	
02	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	स0अ0 (विज्ञान)	रा0उ0प्रा0वि0 बनौली जखोली	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 बुरुवा ऊखीमठ	सुगम	रिक्त पद के प्रति	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1 स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 5 स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

पु0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/2249-54 / वा0स्था0 / 2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक: उक्तवत।

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 170 /वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक,

सुगम से दुर्गम

क0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्रीमती स्नेहलता कोहली	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 कमेडा अगस्त्यमुनि	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 सेमलता जखाली	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती सावित्री सजवाण	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 गुप्तकाशी ऊखीमठ	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 उनियाणा अगस्त्यमुनि	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 226571 /वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 166

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के कम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय	तैनाती	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08	
01	श्रीमती उर्मिला सेमवाल,	स0अ0,	रा0उ0प्रा0वि0 पाटा, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 कमेडा अगस्त्यमुनि		रिक्त पद के प्रति
02	श्री राजेन्द्र प्रसाद	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 भुनालगांव, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 तिमली		रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती उषा गोस्वामी	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 चोपडा, जखोली	रा0उ0प्रा0वि0 मणगा		रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1 स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 5 स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पू0सं0:  
प्रतिलिपि:

प्रा0शि0/सेवा-02/ 2238-48 /वा0स्था0/2018-19

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 271

/वा0स्था0/2019-20

दिनांक: 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक

दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अव्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	जयकृत सिंह नेगी	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सौडभट्टगांव	दुर्गम	रा0क0उ0प्रा0वि0 रतूडा अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति	
02	श्री चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डई दशा0, अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 देवनगर अगस्त्यमुनि।	सुगम	रिक्त पद के प्रति	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जानें के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पू0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2272-82 /वा0स्था0/2019-20  
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),  
रुद्रप्रयाग।